न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील 04 / 2023 दायर दिनांकः 27.02.2023

उनवान

1. बालीबाई पुत्री हीरालाल पत्नी रामगोपाल जाति दांगी नि. रुधनाथपुरा हाल नि. निसानिया तहसील सुसनेर
2. अयोध्याबाई पुत्री हीरालाल पत्नी रामकिशन जाति दांगी नि. रुघनाथपुरा हाल नि. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर
3. कोशल्याबाई पुत्री हीरालाल पत्नी भारमल जाति दांगी नि. रुघनाथपुरा हाल नि. बिजनियाखेड़ी तहसील

— अपीलान्टगण

बनाम

1. नाथुलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि. रुघनाथपुरा तहसील रायपुर
2. बापुलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि. रुघनाथपुरा तहसील रायपुर
3. सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड़

— रेस्पोडेण्टगण

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.05.2010 नामांतरण संख्या 302 ग्राम रुघनाथपुरा ग्राम पंचायत रायपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड अन्तर्गत धारा 75 LR Act

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

अभिभाषक अपीलांटस :— श्री नीलकमल त्रिवेदी
अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं. 1 :— श्री सुभाष दांगी
रेस्पोडेन्टस सं. 2 से 3 :— एकतरफा
रेस्पोडेन्टस सं. 4 :— पेरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 19.05.2026

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम रुघनाथपुरा पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर में वर्तमान खाताः संख्या 125 का खसरा नम्बर 185 रकबा 0.3162 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 1.2014 हेक्टेयर खसरा नं. 315 रकबा 0.1012 हेक्टेयर, खसरा नं. 656/184 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 1.6441 हेक्टेयर एवं खाता संख्या–475 का खसरा नम्बर–803 रकबा 3.4019 हेक्टेयर, खाता सख्या 469 खसरा नम्बर– 787 रकबा 2.1625 हेक्टेयर, आराजी है। यह कि ग्राम पंचायत रायपुर के द्वारा नामांतरण संख्या 302 दिनांक 05.05.2010 को आदेश पारीत कर तस्दीक किया गया है जो गैर कानूनी है क्योकि रेस्पोडेण्ट 1 व 2 के पक्ष में हीरालाल की मृत्यु के पश्चात तस्दीक किया गया है उसमें अपीलान्टगण जो कि मृतक हीरालाल की जायज पुत्रिया हैजिनको हीरालाल के पारिवारिक शजरे में भी दर्शाया गया है लेकिन ग्राम पंचायत रायपुर ने आदेश पारित किया उसमें बिना किसी वैधानिक अधिकार के पुत्रियों को शादी शुदा होना बताकर ना हटा दिये गये है जो आवेधानिक होने से नामांतरण संख्या 302 निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलान्टगण मृतक हीरालाल पिता भंवरलाल की वैधानिक वारिसान है और मृतक हीरालाल की सम्पत्ति में उत्राधिकार अधिनियम के तहत ही रैस्पोण्डेंटगण के बराबर ही अधिकार है जिसे ग्राम पंचायत रायपुर के द्वारा फोती नामांतरण संख्याः 302 दर्ज करते समय बिना किसी आधार के मन मर्जी का आदेश पारित कर समाप्त कर दिया है इसलिए मृतक पिता की सम्पत्ति में कानूनी हक प्राप्त करने के लिए अपीलन्टगण नामांतरण संख्या 302 को निरस्त कराने की अधिकारी है। यह कि रेस्पोडेण्ट नं. 3 सरपंच ग्राम पचायत रायपुर ने सहीं जाँच परताल किये बिना ही मृतक हीरालाल पिता भंवरलाल का फोती नामांतरण संख्याः 302 दिनांक 05.05.2010 को तस्दीक कर रेस्पोडेण्ट 1 व 2 का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जो कानूनी मुल होने से निरस्त होने योग्य है क्योकि विवादग्रस्त सम्पत्ति में अपीलान्टगण भी मृतक हीरालाल की पुत्रिया होने से हक एवं अधिकार है। यह कि अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश करने में जो देर हुई है उसका कारण यह है कि अपीलान्टगण ग्राम रुघनाथपुरामें नहीं रहती है और उनके पिता का फोती नामांतरण दर्ज कर तस्दीक करते समय रैस्पोण्डेंट नं. 3 के द्वारा अपीलान्टगण

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

वर्तमान खाताः संख्या–125 का खसरा नम्बर–185 रकबा–0.3162 हेक्टेयर,

Scanned with OKEN Scanner

को सुचना नाम हटाने से पूर्व नहीं दी गई है इस वजह से अपीलान्टगण को उनके पिता की सम्पत्ति में फोती नामांतरण में नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी नही मिल पायी थी दिनांक 30.01.2023 को नामांतरण संख्याः 302 कि प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय में पेश है अपीलान्ट कि अपील पेश करने में हुई देरी में वाजिब कारण होने से माफी योग्य है इसके लिए धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ है। यह कि अपील अपीलान्ट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कि जाकर ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा दिनांक 05.05.2010 को पारीत आदेश कर तस्दीक किये गये नामांतरण संख्या 302 को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी जिसका विवरण अपील के पेरा नं. 1 में है पर अपीलान्ट के नाम नामांतरण दर्ज करने का आदेश रेस्पोडेण्ट नं. 4 को दिये जाने की कृपा करे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री सुभाष दांगी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि पेरा न. 1 मे दर्ज विवरण राजस्व रेकार्ड से सम्बधित है. जिसके रेस्पोडेण्ट न. 1 हिस्सा 1/2 का काबिज मालिक खातेदार है। यह कि पेरा न 2 दिनांक 05.05..2010 को नामा० 302 तस्दीक किया जाना सही है। शेष तथ्य गलत है, अस्वीकार है। पुत्रीयां शादीशुदा होकर 40–50 सालों से अपने अपने ससुराल रहती है, उन्होंने विवाह के बाद अपने पिता के समय से ही उक्त भूमि में हक छोड़ दिया है ओर मौके पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं होने से नामा० 302 सही कानूनी रूप से तस्दीक हुआ है। इसी कारण अपीलान्ट ने पिता के फोती नामा० के समय कोई आपत्ति नहीं है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत व निराधार होने से असवीकार है। यह कि उक्त पेरा के तथ्य गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नामा० तस्दीक किया है। कोई कानूनी भूल नही की है। अपीलन्ट 30–40 सालो से ससुराल रहती है और उनका उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। उन्होंने अपना हक पिता के

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

वर्तमान खाताः संख्या–125 का खसरा नम्बर–185 रकबा–0.3162 हेक्टेयर,

Scanned with OKEN Scanner

जीवनकाल में ही छोड देने से नामा.० कानूनी रूप से सही खुला है और नामा० के समय इसी कारण से अपीलान्ट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। इतने सालो बाद अपीलान्ट की नियत मे बेईमानी आ रही है। नामा० खुलने की पूरी जानकारी अपीलान्ट को रही है, लेकिन पिता के समय से ही हक छोड़ने से उन्होंने नामा) के समय कोई आपत्ति नहीं की थी ओर 13 सालो से भी अधिक समय बाद मियाद बाहर गलत अपील पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। यह कि पेरे के समस्त तथ्य बनावटी व झूठे होने से अस्वीकार है। यह सही है की अपीलन्ट रूघनाथपुरा मे नही रहती है, लेकिन फोती नामा० की अपीलान्ट को पूरी जानकारी है ओर उस समय अपीलान्ट इमानदारी नहीं छोड़ सकी ओर अब उनकी नियत में बेईमानी आ रही है, इस कारण बनावटी, भ्रामक तथ्यों से अपील द्वारा खातेदार दर्ज होने की अवैध कोशिश मे है। अपील 13 सालो से भी अधिक समय बाद पेश करने से देरी क्षम्म योग्य नहीं है। यदि अपीलान्ट को भूमि को छोड़ने के बाद नाम दर्ज करना ही है तो नियमित प्रतिरेस्पोडेन्ट न. 2 को प्राप्त नहीं होने से भी प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य अस्वीकार है, क्योकि अपील मियांद बाहर है और उक्त भूमि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रायपुर व एक्सिस बैंक झालावाड़ मे रहन दर्ज होने पर उन्हे पक्षकार बनाये बिना अपील चलने योग्य नहीं है। चाही गई सहायता गलत है, अस्वीकार है। **विशेष आपत्तियां** – यह कि अपीलान्ट ने 40–50 साल पहले ही पिता हीरालाल के समक्ष ही उनकी भूमि में शादी के बाद हक छोड़ दिया था ओर हक छोड़ देने के बाद 40–50 साल से रेस्पोन्डेन्ट ही उक्त भूमि में काबिज काश्त करते चले आने से अपील चलने योग्य नहीं है। यह कि ग्राम रायपुर की भूमि खसरा न. 803 रकबा 3.4019 हैक्टेयर भूमि पुश्तेनी नहीं होकर की रेस्पोडेन्ट की खरीदी भूमि होने से अपील डिफेक्टीव होकर खारीज योग्य है। यह कि नामा० सं. 302 अपीलान्ट की पूरी जानकारी में खुला है, लेकिन अपीलान्ट ने पिता के समय ही हक छोड़ देने से नामा० नाम दर्ज नहीं कराया और अब शादी के 40–50 साल बाद उनकी नियत बदल रही है, जिस कारण बिना कब्जे काश्त के अपील मियाद बाहर होने से अपील काबिल खारीज है। यह कि उक्त भूमि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रायपुर व एक्सिस बैंक

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

झालावाड़ जिन्होने खाते व मौके पर रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त से रहन रखी है। उन्हें पक्षकार बनाये बिना व सुने बिना अपील चलने योग्य नहीं है। यह कि अपीलान्ट द्वारा 40–50 साल पहले हक छोड़ने से धारा 63(3) आर.टी.एक्ट से उनका हक स्वतः समाप्त हो जाने से मियाद बाहर अपील से खातेदारी दर्ज नहीं की जा सकती है। यह कि अपीलान्ट्स द्वारा हक छोडने के बाद फिर खातेदारी चाहती है तो उन्हे खातेदारी घोषणा का वाद पेश करना चाहीए था जो पेश नहीं किया है। हको की घोषणा नियमित वाद में हो सकती है। मियाद बाहर अपील मे छोडे गये हक की बिना कब्जे काश्त के खातेदारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः जवाब मय विशेष आपत्तियों के पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मय खर्चा खारिज फरमाने कि कृपा करे।

3. रेस्पोडैटस सं. 2 से 3 बावजूद सूचना अनुस्थित रहे। अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 04.07.2025 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्टस सं. 4 जवाब अवसर बंद किया गया।

4. अपीलांटस की ओर से अपील के समर्थन में ग्राम रूधनाथपुरा नामान्तरण संख्या 302 दिनांक 05.05.2010 की सत्यप्रति, ग्राम रूघनाथपुरा का खाता सं. 125, 469, 475 जमाबंदी सं. 2073–76, खाता सं. 20 जमाबंदी सं. 2065–68, RRT 2018-19(sup) रेवन्यु बोर्ड राज. अजमेर का निर्णय दिनांक 01.05.2019 शिब्बा बनाम गिरिराज प्रसाद व अन्य, RRT 2013(2) रेवन्यु बोर्ड राज. अजमेर का निर्णय दिनांक 01.05.2012 राज्य सरकार बनाम मदनलाल व अन्य, RRT 2013(1) रेवन्यु बोर्ड राज. अजमेर का निर्णय दिनांक 07.02.2013 कन्नीराम बनाम दाकुबाई व अन्य, RRT 2012(2) रेवन्यु बोर्ड राज. अजमेर का निर्णय दिनांक 02.04.2012 मदनलाल बनाम कृष्णा व अन्य, RRT 2002(1) रेवन्यु बोर्ड राज. अजमेर का निर्णय दिनांक 13.12.2001 शोयबल व अन्य बनाम शिम्बु व अन्य, RRT 2002(1) रेवन्यु बोर्ड राज. अजमेर का निर्णय दिनांक 05.12.2001 शंकर बनाम मोग्जी कुमार व अन्य न्यायिक दृष्टांत पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अपने समर्थन में नाथूलाल पि. हीरालाल, रामकैलाश पि. फूलचन्द, नरसिंह पि. कनीराम, विष्णु प्रसाद पि. शिवनारायण के शपथपत्र, नामा.सं. 1375 दिनांक 07.07.1999, नामा.सं. 2818 दिनांक 30.07.2015 पेश की।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस अपील सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रूघनाथपुरा तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2065–68 में तत्कालीन खाता सं. 219 ख.न. 290 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि हिस्सा सम्पूर्ण एवं खाता सं. 20 किता 13 रकबा 36 बीघा में कनीराम, शिवनारायण, फूलजी, रामलाल पिस. रामचन्दर, बालाराम पि. बृजलाल, हिरालाल पुत्र भंवरलाल जाति दांगी का संयुक्त हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड था। हीरालाल के फोत होने पर ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा नामा सं. 302 दिनांक 05.05.2010 तस्दीक किया गया था। उक्त नामा. 302 के निर्णय में ग्राम पंचायत द्वारा अंकन किया गया है कि खातेदार हिरालाल का फोत होना पाया गया जिसके वारिसान में दो पुत्र, चार पुत्रियॉ एवं बेवा है। पुत्रियॉ शादीशुदा होकर ससुराल चली गयी है। अतः खातेदार के स्थान पर पुत्र बापूलाल, नाथूलाल व बेवा सीताबाई का नाम दर्ज करने की स्वीकृती दी जाती है। आगे तर्क किया कि नामा.पंजिका के कालम सं. 9 में पटवारी हल्का द्वारा मृतक हीरालाल के वारीसान में नाथूलाल, बापूलाल पि. हीरालाल, कौशलयाबाई, अयोध्या बाई, गुड्डीबाई व बालीबाई पुत्री हीरालाल, व सीताबाई बेवा हीरालाल कोम दांगी दर्ज किया था और नामांतरण पंजिका के पृष्ट भाग पर पारिवारिक शजरा भी सही –02 पुत्र, 04 पुत्रियॉ व 01 बेवा–अंकित किया है। पटवारी रिपोर्ट पर आईएलआर रायपुर द्वारा बाद जांच अंकन किया गया कि जमाबंदी अनुसार इन्द्राज सही है बाद जॉच नामांतरण फैसल फरमाये। पटवारी रिपोर्ट, व आईएलआर रायपुर की जांच एवं नामा.पंजिका के पृष्ठ पर अकित शजरा पूर्णतः सही व विधिवत है जिसे ग्राम पंचायत की कोरम में भी स्वीकार किया गया ***लेकिन तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा रेस्पोडेन्टस के साथ मिलकर जालसाजी करते हुए अपीलान्ट्स पुत्रियो को कोई नोटिस दिये***

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बिना एवं सुने बिना केवल शादीशुदा होकर ससुराल चले जाने मात्र के आधार पर उनके नाम हटा दिये गये। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो अपीलांट्स से उनका नाम हटाने की कोई लिखित सहमति ली गई और ना ही कोई हकत्याग करवाया गया। तत्कालीन सरपंच ने अपनी स्वैच्छा से षडयंत्र पूर्वक यह जालसाजी करते हुए अपीलांट्स को नोटिस दिये एवं सुने बिना हल्का पटवारी एवं भू.अभि.निरीक्षक रायपुर द्वारा दर्ज प्रवृष्टियों को गैर कानूनी रूप से बदल दिया गया जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है जबकि राजस्व रिकार्ड से कोई भी नाम हटाने के लिए प्रभावित पक्षकार को नोटिस देकर सुना जाना आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा आगे तर्क किया गया कि भारतीय संविधान में महिला व पुरूष दोनो को समानता का अधिकार है। किसी महिला/पुत्री को सिर्फ महिला होने के भेदभाव के आधार पर अपनी पिता की सम्पत्ति में उसके हिस्से से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संसद द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में सन 2005 में संशोधन कर पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को पुत्रों के समान हिस्सा दिये जाने का स्पष्ट प्रावधान किया है। अतः ग्राम पचांयत के सरपंच द्वारा बिना किसी लिखित सहमति/नोटिस अपीलांटगण का नाम अविधिक रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के विरूद्ध हटाने का नामा.सं. 302 *प्रारम्भ से शून्य व विधिविरूद्ध* होने से खारीज किये जाने योग्य है।

7. अभिभाषक अपीलांटस द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच ने अपनी स्वैच्छा से रेसपोन्डेटस के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक अपीलांट्स को नोटिस दिये एवं सुने बिना हल्का पटवारी एवं भू.अभि.निरीक्षक रायपुर द्वारा दर्ज प्रवृष्टियों को गैर कानूनी रूप से चुपचाप बदल दिया गया जिसकी अपीलांट्स को अपीलांटस जब वर्ष 2023 में कृषि ऋण के लिए खाते का लेण्ड रिकॉर्ड लेने ज्ञात हुआ कि उनके खाते जमीन नहीं है तो अपीलांटस ने पुराना राजस्व रिकार्ड निकाला तो ग्रामपंचायत द्वारा की गई जालसाजी का ज्ञान हुआ था और न्यायालय में अपील पेश कर दी गयी। अपीलांट्स नामांतरण से पूर्व से ही शादीशुदा होने से अपने

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ससुराल में निवासरत थी एवं पूर्णतय अशिक्षित महिलाऐ है और इसलिए नामांतरण गलत तरीके से तस्दीक किये जाने का पता नही चला। अपीलांट्स द्वारा विलंब में देरी के लिए माफी के लिए **धारा 5 लिमिटेशन** एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः ऐसे नामान्तरण या अंतरण जो ***प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध*** है, की अपील करने की कोई समय सीमा एक्ट में तय नहीं की गई है। कूटरचित तरीके से षडयंत्र पूर्वक विधि विरूद्ध किये गये नामान्तरण के ज्ञान होने की तारीख से ही कभी भी अपील की जा सकती है। ऐसे **void ab initio** नामान्तरण को चुनौती देने के लिए मियाद बाधक नहीं होती है बल्कि ऐसे प्रकरणों को प्रकरण के संज्ञान में आने की तारीख की मियाद से हमेशा गुणावगण पर निर्धारित किया जाकर धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जावे।

8. अभिभाषक रेस्पोडेटस सं. 1 द्वारा जवाब अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा नामा.सं. 302 के निर्णित होने के करीब 13 वर्षो बाद यह अपील पेश की है और 13 वर्षो की देरी का कोई भी संतोषजनक कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। सीपीसी या अन्य कानून में गरीब, अनपढ व ग्रामीण महिला होने के आधार पर अपील में हुई देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नही है। ***अतः अपील अपीलांट 30 दिनों की मियाद से अत्यधिक बाहर होने से खारीज किये जाने योग्य है।*** अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं. 1 द्वारा आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरण सं. 302 विधिवत है। नामान्तरण तस्दीक करते समय तीनों अपीलांटस कोरम के समक्ष उपस्थित हुई और अपने हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में त्यागने का मौखिक निवेदन किया था जिसे ग्राम पंचायत की कोरम द्वारा स्वीकार कर उनका हिस्सा कम करने का आदेश दिये गये। तत्कालीन सरपंच द्वारा किसी प्रकार का कोई षंडयंत्र नहीं किया गया था। नामान्तरण अपीलांटस की मौखिक सहमति तस्दीक होने से विधिवत है। **आगे तर्क किया कि धारा 63 (3)(II) काश्तकारी अधिनियम के अनुसार किसी खातेदार का अपनी भूमि पर 40–50 वर्षो से कब्जा नही होने और कब्जाधारी से कब्जा वापिस नही लेने पर**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त होकर भूमिधारक सरकार में निहित हो जाते है। अतः अपीलांटस की अपील खारीज फरमायी जावे। पुनः तर्क किया कि अपीलांट्स द्वारा हाल खाता सं. 125 व 475 दोनो भूमियों पर अधिकार चाहा है जबकि अपीलांटस केवल पिता हीरालाल की सम्पति पर ही अपील पेश कर सकती है अतः अपीलांट्स की अपील खारिज की जावे।

9. उभयपक्ष की बहस अपील के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पेश न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान मनन किया गया। ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा ग्राम रूघनाथपुरा के तस्दीक नामा सं. 302 दिनांक 05.05.2010 की नामान्तरण पंजिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रूघनाथपुरा के तत्कालीन खाता सं. 219 किता 1 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा हिस्सा सम्पूर्ण एवं खाता सं. 20 किता 13 रकबा 36 बीघा एवं खाता सं. 21 किता 2 रकबा 18–00 बीघा में सहखातेदार हिरालाल पुत्र भंवरलाल जाति दांगी के फोत होने पर ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा नामा सं. 302 दिनांक 05.05.2010 तस्दीक किया गया था। उक्त नामा. 302 केनामा.पंजिका के कालम सं. 9 में पटवारी हल्का द्वारा मृतक हीरालाल के वारीसान में नाथूलाल, बापूलाल पि. हीरालाल, कौशलयाबाई, अयोध्या बाई, गुड्डीबाई व बालीबाई पुत्री हीरालाल, व सीताबाई बेवा हीरालाल कोम दांगी दर्ज किया है और नामांतरण पंजिका के पृष्ट भाग पर भी पारिवारिक शजरा में –02 पुत्र, 04 पुत्रियॉ व 01 बेवा– उक्तानुसार अंकित है। पटवारी रिपोर्ट पर आईएलआर रायपुर द्वारा बाद जांच अंकन किया गया कि जमाबंदी अनुसार इन्द्राज सही है बाद जॉच नामांतरण फैसल फरमाये लेकिन अपने निर्णय में ग्राम पंचायत द्वारा अंकन किया गया है कि खातेदार हिरालाल का फोत होना पाया गया जिसके वारिसान में दो पुत्र, चार पुत्रियॉ एवं बेवा है। पुत्रियॉ शादीशुदा होकर ससुराल चली गयी है। अतः खातेदार के स्थान पर पुत्र बापूलाल, नाथूलाल व बेवा सीताबाई का नाम दर्ज करने की स्वीकृती दी जाती है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा भी मृतक खातेदार हीरालाल के दो पुत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 एवं तीन पुत्रियां अपीलांटस होना स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह साबित है कि मृतक खातेदार हीरालाल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

का फोती नामा. सं. 302 तस्दीक करते समय उसके वारीसान में दो पुत्र – नाथूलाल व बापूलाल, तीन शादीशुदा लडकिया– बालीबाई, अयोध्याबाई व कौशल्याबाई एवं बेवा– सीताबाई मौजूद थे। यह भी साबित है कि नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 9 व 16 में हल्का पटवारी द्वारा भी इन्ही वारीसानों का अंकन किया गया है जिसे आईएलआर रायपुर द्वारा बाद जांच स्वीकार किया गया था।

10. ग्राम रूघनाथपुरा के नामा.सं. 302 के पृष्ठ भाग पर ग्राम पंचायत रायपुर के निर्णय दिनांक 05.05.2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत कोरम द्वारा पटवारी हल्का व आईएललआर द्वारा पंजिका के कालम सं. 09 व 16 में अंकित वारीसानो को स्वीकार तो किया है लेकिन शादीशुदा होकर ससुराल जाने के कारण तीनो पुत्रियो को हक व अधिकार से वंचित कर दिया। ग्राम पंचायत कोरम द्वारा यह निर्णय किस विधि या नियम के अधीन लिया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है और न ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया है। शादीशुदा होकर ससुराल जाने के आधार पर किसी पुत्री को उसके पिता की सम्पत्ति में विरासत के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। **अभिभाषक रेस्पोडन्ट का कथन है कि मृतक हीरालाल का फोती नामान्तरण दर्ज करते समय तीनो बहिने ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित हुई और स्वैच्छा से मौखिक रूप से अपना हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष में त्यागने का निवेदन किया था जिसे ग्राम पंचयत द्वारा स्वीकार कर दोनो भाईयो के पक्ष में नामान्तरण निर्णित किया गया।** अभिभाषक अपीलांटस का कथन है कि अपीलांटस को ना तो ग्राम पंचायत द्वारा वक्त नामान्तरण सुना गया और ना ही ग्राम पंचायत के समक्ष कभी भी अपने हिस्से का त्याग किया है और न ही ऐसी किसी हकत्याग दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये है। ग्राम पंचायत ने केवल शादीशुदा होने मात्र के आधार या मौखिक हकत्याग का हवाला देकर हमारा नाम कम कर दिया है। यह सही है कि ग्राम पंचायत को बिना रजिस्टर्ड हकत्याग के अपीलांटस का नाम फोती इन्तकाल से किसी वारीसान का नाम हटाने का कोई हक व अधिकार नहीं है। भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

धारा 17 के अनुसार 100/– से अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति का अंतरण पंजीकृत होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विरूद्ध निर्णित किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा न तो अपीलांटस के हकत्याग करने का कोई रजिस्टर्ड/अपंजीकृत दस्तावेज पेश किया है और न ही कोरम के निर्णय के नीचे अपीलांटस के हस्ताक्षर करवाये गये है। यदि मान लिया जावे कि अपीलांटस द्वारा कोरम के समक्ष मौखिक रूप से भी हकत्याग करने का कथन किया गया तो भी कोरम को अपीलांटस के हस्ताक्षर करवाये जाने आवश्यक थे। नामान्तरण पंजिका के पृष्ठ भाग पर कही भी अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है। पृष्ठ भाग पर सरपंच व अन्य वार्ड पंच या कोरम सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित है। **भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार 100/– से अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति का अंतरण पंजीकृत होना अनिवार्य है।** अतः ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा दिनांक 05.05.2010 को तस्दीक किया गया नामा.सं. 302 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) होने से खारीज योग्य है।

11. यह सही है कि अपीलांटस द्वारा यह अपील नामा.सं. 302 के तस्दीक होने के करीब 13 साल बाद पेश की गई है जो सामान्यतः मियाद बाहर है लेंकिन अपीलांटस का कहना है कि वे नामांतरण से पूर्व से ही शादीशुदा होने से अपने ससुराल में निवासरत थी एवं पूर्णतय अशिक्षित है इसलिए नामांतरण गलत तरीके से तस्दीक किये जाने का पता नही चला। जब वे वर्ष 2023 में कृषि कार्य हेतु नकल ली तो ज्ञात हुआ कि उनके खाते जमीन नहीं है और ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ मिलकर की गई जालसाजी का ज्ञान हुआ था और माननीय न्यायालय में अपील पेश कर दी गई फलतः अपील दायर करने में कोई विलंब नही की है जबकि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 का कथन है कि अपीलांटस को शुरू से ही नामान्तरण सं. 302 का ज्ञान है। हालांकि इस संबंध में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। उपर मद क्रम 12 व 13 में किये गये विवेचन व विश्लेषण के आधार

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पर यह तथ्य साबित है कि ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा निर्णित नामांतरण सं0 302 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (**void ab initio**) होने से खारीज योग्य है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयो एवं राजस्व मण्डल द्वारा विलंब के संबंध में यह सिंद्धात प्रतिपादित किया है कि किसी अपील को मियाद के बिन्दु खारिज करने से पूर्व प्रकरण की मेरिट पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिये एवं अपील मेरिटस के आधार पर सुदृढ रूप से खडी हो तो प्रकरण का निर्णय मेरिटस के आधार पर ही किये जाने के प्रयास करने चाहिये। इस सिद्धांत को यदि हम वर्तमान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें तो यह स्पश्ट होता है कि इस प्रकरण में अपीलांटस द्वारा मेरिट के संबंध में उठाये गये कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दू सुदृढ साक्ष्य पर आधारित है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी लिखित दस्तावेज के, अपीलांटस को सुने बिना, मनगढंत कथनो के आधार पर हरलाल की पैतृक सम्पति में लडकियों/अपीलांटस को विरासत के अधिकार से वंचित कर उनका हिस्सा पुत्रो को देना प्रारंभ से ही हिन्दू उतराधिकार विधि विरूद्ध एवं प्रभाव भून्य है। **ऐसे प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है ऐसे शून्य प्रभावी नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कभी बाधक नही होती है। जिन प्रकरणों में विधि विरूद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को बिना किसी आधार और बिना सुने उसके कानूनी अधिकारो से संदेहप्रद रूप से वंचित किया गया हो उन प्रकरणों को सदैव गुणागुण पर निर्णित करना ही प्राकृतिक न्याय का सिंद्धांत है।** जो नामांतरण पुर्णतया साक्ष्य के विरूद्ध किये गये सिद्ध हो तो उन्है यथावत रखे जाना कभी भी न्याय की मंशा नही होती है। यह सही कि न्यायिक दृश्टि से 13 वर्षो के असाधरण विलंब को सामान्य परिस्थिति मे क्षमा करना गलत है। सामान्य परिस्थितियों में किसी पक्षकार की निशक्रियता और तुच्छ आधार पर अपील पेश करने में कि गयी देरी के प्रति उदार दृश्टि कोण अपनाना लिमिटेशन एक्ट को निरर्थक और अप्रांसगिक बना देगा लेकिन विशेष परिस्थितियों में प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) आदेश के विरूद्ध विलंब को माफ करने से यदि वास्तविक न्याय की प्राप्ति होती हो तो कई वर्शो की देरी को भी माफ किया जाना चाहिए। यह सही कि वक्त

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नामांतरण निर्णय अपीलांट्स शादीशुदा थी और ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिलाए है अतः देरी होना स्वभाविक है। विलंब के लिए माफी प्रदान करना न्यायालय के विवेक अधिकार का मामला है। परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 5 यह नही कहती है कि विवेकाधिकार का उपयोग मात्र तब ही किया जायेगा जबकि विलंब निश्चित परिसीमा के अंदर हो।

12. अपीलांट्स द्वारा न्यायिक दृष्टांत सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। सुगनी बनाम दुर्गाराम आरआरटी 2020(2) पेज 846 मामले में माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश करने में की गयी। विलंब को इस आधार पर माफ किया है कि जो नामांतरण पूर्णतय साक्ष्य के विरूद्ध किये गये हो उन्है यथावत रखे जाना न्याय की मंशा नही होती है। इसी प्रकार कन्नीराम बनाम दाकूबाई व अन्य आरआरटी 2013 (1) 473 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 एवं 84ए– अपील पेश करने में विलंब माफ किया– नामान्तरण तस्दीक होने के 34 वर्ष बाद पेश अपील को इस आधार पर मियाद में होना माना कि नामान्रण तस्दीक करने से पूर्व अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर सुना नहीं गया। शंकर बनाम मोगजी कुमार आरआरटी 2002(1) 269 मामले में राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि जब नामान्रण तस्दीक किया गया उसमें व्यथित व्यक्ति को बिना सूचने के आदेश दिया गया हो तो ऐसा आदेश प्रारम्भ से ही शून्य है जैसा कि 1994 आरआरडी 606 एवं 1994 आरआरडी 215 में निर्णित हुआ है। आगे यह भी तय किया गया कि प्रार्थी को आदेश का ज्ञान दिनांक 09.01.1992 को उस समय हुआ जब भू. प्रबंध कार्य शुरू हुआ एवं प्रार्थी ने जानकारी की तारीख से मियाद अंदर अपील पेश कर दी है। अतः ग्राम पंचायत का नामान्तरण आदेश प्रारम्भ से शून्य है और ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए कोई मियाद नहीं होती है। जैसा कि 1989 आरआरडी 45 में निर्णय हुआ है। अतः अपील पेश करने में 16 वर्षो की देरी माफी योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

13. प्रेमसिंह बनाम सुगनकुवर आरआरटी 2022(2) पेज 1137 मामले में माननीय राजस्व मण्डल ने 30 वर्शो से अधिक की देरी को माफ करते हुए अभिनिधारित किया है कि विधिक रूप से वोईड अबोनिसाई आदेश पर लिमिटेशन एक्ट लागू नही होती है ऐसी अपील को अंदर मियाद स्वीकार किया जाना चाहिए। हसन बनाम टूंडो आरआरटी 2018–19(SUPP) पेज 239 प्रकरण में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील पेश करने में की गयी करीब 40 वर्षो की अत्यधिक देरी को माफ करते हुए अभिनिर्धारित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण नामांतरण को चुनौती देने के लिए मियाद कतई बाधक नही होती है। रेसपोन्डेट कम 1 से 4 द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतो का सहसम्मन अवलोकन किया गया। **मरूधर कंवर बनाम राजस्व मण्डल आरआरटी 2015(1) पेज 369 मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपील पेश करने में की गयी 14 वर्शो की देरी को इस आधार पर खारीज किया गया कि परीसीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र की अनुपस्थिति में विलंब सम्मन नही किया जा सकता** है। अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अपील में 14 वर्ष की देरी माफ की गयी। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमन एक्ट का प्रार्थना पत्र साथ में पेश किया है अतः मरूधर कंवर बनाम राजस्व मण्डल मामले के तथ्य एवं परिस्थिति हस्तगत प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न है। इसी प्रकार **वीएस मैत्रियां बनाम जेआरई डवलपमेंट कम्पनी प्रा.लि. आरआरटी 2017(1) पेज 117 मामले में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट** ने अपील पेश करने मे हुई 2344 दिनों की देरी को इस आधार पर माफ नही किया कि अपीलांट्स द्वारा विलंब स्पश्ट करने हेतु प्रयाप्त कारण पेश नही किये। इस मामले में अपीलांट्स ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उन्है अपने पिता श्री वीएस मेडतिया के द्वारा न्यायालय मे दायर की गयी प्रथम अपील को न्यायालय से खारीज करने का ज्ञान नही था जब उन्है ज्ञान हुआ तब उन्होने प्रथम अपीलीय न्यायालय से निर्णय की सत्य प्रति ली लेकिन उन्हे अपील के खारीज होने के परिणामो का ज्ञान नही होने से कानूनी ज्ञान के अभाव में समय पर द्वितीय अपील दायर नही हो सकी।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत प्रकरण में यह अपीलांट्स की प्रथम अपील है और **अपीलांट वक्त नामांतरण से शादीशुदा होने से ससुराल मे निवास करने, अशिक्षित ग्रामीण महिला होने, बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना लिखित हकत्याग के निर्णित** उक्त विधि विरूद्ध व प्रभाव शून्य नामांतरण का ज्ञान देरी से होने अपील दायर करने मे देरी हुई है अतः दोनो प्रकरणो के तथ्य व परिस्थितिया समान नही है। उपरोक्त विवेचन एवं विशलेशण के आधार पर अपीलांट्स का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर विलंब को माफ किया जाना न्यायोचित है।

14. अभिभाषक रेस्पोडेन्टस का कथन है कि अपीलांटस द्वारा ग्राम रूघनाथपुरा के खाता सं. 125 किता 4, खाता सं. 475 के ख.नं. 803 एवं खाता 469 के ख. नं. 787 के संबंध में अनुतोष चाहा है लेकिन ख.नं. 803 रेस्पोडेन्टस की कयशुदा निजी भूमि है जबकि खाता सं. 469 का ख.नं. 787 ग्राम रूघनाथपुरा में अस्तित्व में नहीं है। अपीलांट द्वारा पेश जमाबंदियो के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम रूघनाथपुरा का खाता सं. 475 का ख.नं. 803 व खाता सं. 469 का ख.नं. 787 मृतक हीरालाल पि. भंवरलाल के खाते की आराजी नही है और ना ही इसके संबंध में नामा.सं. 302 निर्णित किया गया है। नामा.सं. 1375 दिनांक 07.07.1999 एवं नामा.सं. 2818 दिनांक 30.07.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी रेस्पोडेन्ट की कयशुदा आराजी है जिस पर अपीलांटस का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है जबकि खाता सं. 469 का ख.नं. 787 ग्राम रूघनाथपुरा को ना होकर ग्राम रायपुर का है जिसका कोई अंकन अपीलांट द्वारा अपील में नहीं किया गया है।

15. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम रूघनाथपुरा तहसील रायपुर की ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित फौती नामांतरण सं0 302 दिनांक 05.05.2010 प्रारम्भ से ही शून्य एवं विधि विरूद्ध (void ab initio) होने से अपीलांट्स द्वारा पेश अपील न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

16. परिणामतः ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा निर्णित ग्राम रूघनाथपुरा का फौती नामांतरण सं0 302 दिनांक 05.05.2010 प्रारम्भ से अवैध व शून्य होने से खारीज किया जाकर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है। तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि उक्त नामांतरण सं0 302 को खारीज कर नामांतरण से पूर्व की मूल स्थिति बहाल कर पुनः मृतक खातेदार हीरालाल पुत्र भंवरलाल जाति दांगी का फौती इंतकाल सभी वारिसानो के नाम नियमानुसार तस्दीक किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/26

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज.

Scanned with OKEN Scanner